न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

बालचन्द बनाम मोहनीबाई

किस्म मुकदमा धारा-225 मि.नं. 2022/94 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री विवेक जोशी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री महेश पारीक R-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.7.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में रेस्पो. क्र. 2 व 3 के नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... कोटा

न्यायालय :– भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा, राज0।

अपील सं0– /2022

1. बालचन्द पुत्र भंवरलाल जाति कुलमी निवासी खानपुरिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0।
2. सुरेश कुमार वल्द भंवरलाल कौम कुलमी निवासी खानपुरिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0।

...............प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनी बाई पुत्री मांगीलाल कौम कुलमी पाटीदार निवासी ग्राम बडोदिया तहसील असनावर जिला झालावाड़ राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0।
3. उपपंजीयक महोदय, झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0।

...............अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट

अपील बनाराजगी आदेश एसडीओ साहब दिनांक 20.06.2022

मिसल नं0–515/2022 अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उण्डल पटवारी हल्का खानपुरिया भू. अभिलेख निरीक्षक तहसील झालरापाटन खाता सं0–120 पुराना 120 के खसरा नम्बर 322 की एक किता रकबा 1.6312 हैक्टेयर जमीन स्थित है। अप्रार्थीया/रेस्पोंडेंट मोहिनी बाई अपंग है। करीब 38 साल पूर्व मोहिनी बाई की सगाई की बातचीत सुरेश कुमार से चली तो मोहिनी बाई के पिता ने यह शर्त रखी कि मोहिनी बाई अपंग है, तुम उसको कभी भी छोड़ सकते हो, इसलिए तुमको उसके खाते में जमीन बनानी पड़ेगी। इस पर वादीगण के पिता भंवरलाल राजी हो गए और प्रश्नगत आराजी जो भंवरलाल के खाते में दर्ज थी,